(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 12/2024–25
नई दिल्ली, दिनांकः 08 मई, 2024

विषयः आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के लिए आयात अवधि को बढ़ाने के संबंध में।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संषोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेष व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023, दिनांक 23.02.2024 की अधिसूचना संख्या 61/2023 और दिनांक 05.04.2024 की अधिसूचना संख्या 04/2023 के क्रम में केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात नीतिगत षर्त में निम्नानुसार संषोधन करती हैः

आइटीसी (एचएस) कोड और मद विवरण	मौजूदा नीतिगत षर्त	संषोधित नीतिगत षर्त
07131010 -- पीली मटर	क) आयात खेप के लिए एमआईपी षर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **30 जून, 2024** को अथवा इससे पहले जारी किया गया है। ख) आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **30 जून, 2024** के बाद जारी किया गया हो 'प्रतिबंधित' रहेगा और दिनांक 08.12.2023 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 50/2023 से पहले यथा मौजूद संबंधित आयात नीतिगत षर्ते लागू होगी। ग) पीली मटर का सभी आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **30 जून, 2024** या इससे पहले तिथि का है ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा।	क) आयात खेप के लिए एमआईपी षर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **31 अक्टूबर, 2024** को अथवा इससे पहले जारी किया गया है। ख) आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **31 अक्टूबर, 2024** के बाद जारी किया गया हो 'प्रतिबंधित' रहेगा और दिनांक 08.12.2023 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 50/2023 से पहले यथा मौजूद संबंधित आयात नीतिगत षर्ते लागू होगी। ग) पीली मटर का सभी आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **31 अक्टूबर, 2024** या इससे पहले तिथि का है ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा।

<u>अधिसूचना का प्रभावः</u> आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात एमआइपी षर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना सभी आयात खेप जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **31 अक्टूबर, 2024** को या इससे पहले जारी किया गया है के लिए तत्काल प्रभाव से आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अध्यधीन 'मुक्त' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
8.5.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in